भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 818

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

कोयला धारक क्षेत्र

818. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास अधिनियम, 1957) के उपबंधों के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति और शिकायतों का निर्धारण करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य के लिए पूर्णकालिक अधिकरण का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अधिकरण के गठन की समयबद्ध अवधि क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख) : जी, नहीं। कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत रांची और गोड्डा में दो अंशकालिक अधिकरण गठित हैं, जो अधिनियम के तहत देय मुआवजे का निर्धारण करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य में कार्यरत हैं।

****